न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 89/17

अनवान :

1. राममूर्ति पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. मुन्शीराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. इन्द्रपाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. गीता पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. घमां पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री भानुप्रताप सिंह : वादीगण

वकील श्री हनुमान सिंह : प्रतिवादी सं0 1 ता 3

निर्णय **दिनांक :** 25·1·18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता सं0 232/212 के खसरा सं0 252/2 की 14.100 है0 खसरा सं0 581/374 की 6.020 है0 कुल 20.120 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। इसी प्रकार चक 12एमएसआर के वर्तमान खाता सं0 148/135 के मु0नं0 83 के किला नं0 7 ता 17 की 2.783 है0 नहरी खातेदारी भी प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है एंव चक 10 एमएसआर के वर्तमान खाता सं0 107/100 के मु0नं0 39 के किला नं0 9 ता 12, 19 व 20, मु0नं0 40 के किला नं0 6, 14 ता 17 मु0नं0 55 के किला नं0 1, 10, 11 कुल 3.542 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी भी प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है।

उक्त वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जो पहले वादीगण के दादा हेतराम की खातेदारी हुआ करती थी। हेतराम के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई थी, परन्तु वादभूमि को प्रतिवादी लालचन्द ने महज कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से विरासतन दर्ज करवा ली।

वादभूमि के सम्बन्ध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने वादभूमि में अपना हक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी लालचन्द के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादी लालचन्द को बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात् प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हो गई तथा इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी लालचन्द की कब्जा काश्त चली आ रही है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी लालचन्द के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादीगण में वादी मुन्शीराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित चित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मुन्सरी बारानी खाता सं0 232/212 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श पी1, सत्य चित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 10 एमएसआर खाता सं0 107/100 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श पी2, प्रमाणित चित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 12 एमएसआर खाता सं0 148/135 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श पी3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग चक 12 मुन्सरी सम्वत् 2029 – 38 प्रदर्श पी4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम मुन्सरी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श पी5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 10 मुन्सरी सम्वत् 2016 प्रदर्श पी6 प्रदर्शित करवाये एंव सरपंच ग्राम पंचायत मुन्सरी द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र पेश किया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 10 व 12 एमएसआर एवं मुन्सरी बारानी में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने वादपत्र में तीनों चकों की विवादित कृषि भूमि को दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि के लिए वादीगण ने जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग चक 12 मुन्सरी सम्वत् 2029 – 38 प्रदर्श पी4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम मुन्सरी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श पी5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 10 मुन्सरी सम्वत् 2016 प्रदर्श पी6 प्रदर्शित करवाई है उनमें कृषि भूमि वादीगण के दादा हेतराम के नाम दर्ज है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र में लालचन्द के श्रावणी, राममूर्ती, मुन्शीराम, गीता, घमा, ईन्द्रपाल जायज वारिस होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता सं0 232/212 के खसरा सं0 252/2 की 14.100 है0 खसरा सं0 581/374 की 6.020 है0 कुल 20.120 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 12एमएसआर के वर्तमान खाता सं0 148/135 के मु0नं0 83 के किला नं0 7 ता 17 की 2.783 है0 नहरी खातेदारी भी प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है एंव चक 10 एमएसआर के वर्तमान खाता सं0 107/100 के मु0नं0 39 के किला नं0 9 ता 12, 19 व 20, मु0नं0 40 के किला नं0 6, 14 ता 17 मु0नं0 55 के किला नं0 1, 10, 11 कुल 3.542 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी भी प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द अकेले के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने विवादित कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्युटी अदा करने एवं यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन फक होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.1.18........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 89/17

अनवान :

1. राममूर्ति पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. मुन्शीराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. इन्द्रपाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. गीता पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. घमां पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री भानुप्रताप सिंह एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 श्री हनुमान सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता सं0 232/212 के खसरा सं0 252/2 की 14.100 है0 खसरा सं0 581/374 की 6.020 है0 कुल 20.120 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 12एमएसआर के वर्तमान खाता सं0 148/135 के मु0नं0 83 के किला नं0 7 ता 17 की 2.783 है0 नहरी खातेदारी भी प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है एंव चक 10 एमएसआर के वर्तमान खाता सं0 107/100 के मु0नं0 39 के किला नं0 9 ता 12, 19 व 20, मु0नं0 40 के किला नं0 6, 14 ता 17 मु0नं0 55 के किला नं0 1, 10, 11 कुल 3.542 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी भी प्रतिवादी लालचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द अकेले के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 लालचन्द चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने विवादित कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्युटी अदा करने एवं यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन फक होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.1.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़